2011 का विधेयक सं. 25

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता हैः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह 31 मार्च, 2011 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 2005 के राजस्थान अधिनियम सं. 7 की धारा 6 का संशोधन.- राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 7) की धारा 6 के विद्यमान खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(ग) वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए अपने कुल बकाया ऋण को सकल राज्य देशी उत्पाद के क्रमश: 39.3, 38.3, 37.3 और 36.5 प्रतिशत तक सीमित करेगी ;"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 को समयबद्ध लक्ष्यों सहित राजवित्तीय समेकन का जिम्मा लेकर राजवित्तीय उत्तरदायित्व रीति में राज्य वित्तों का प्रबंध करने के लिए राज्य सरकार को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए अधिनियमित किया गया था।

विधानसभा के गत बजट सत्र के दौरान तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उप-धारा (क) और (ख) में संशोधन किया गया था।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर सलाह दी है कि राज्य, वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2014-15 के लिए बकाया ऋणों और सकल राज्य देशी उत्पाद के अनुपात-लक्ष्यों को अपने राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम में भी सम्मिलित करें।

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किया गया राज्य विशिष्ट अनुदान, राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 में इस उपबंध को सम्मिलित करने के पश्चात् ही, वित्तीय वर्ष 2011-12 से निर्मुक्त किया जायेगा।

इसलिए, वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2014-15 के लिए बकाया ऋणों और सकल राज्य देशी उत्पाद अनुपात-लक्ष्यों को सम्मिलित करने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 6 का खण्ड (ग) संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005
(2005 का अधिनियम सं. 7) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX

6. राजवित्तीय प्रबंध के लक्ष्य.- विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार -

(क) से (ख) XX XX XX

(ग) यह सुनिश्चित करेगी कि किसी वर्ष में लोक लेखा को अपवर्जित करते हुए कुल बकाया ऋण और बकाया प्रत्याभूतियां वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर राज्य की संचित निधि में प्राक्कलित प्राप्तियों के दुगने से अधिक नहीं हों;

(घ) से (ङ) XX XX XX

XX XX XX XX

(Authorised English Translation)

Bill No. 25 of 2011

THE RAJASTHAN FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (SECOND AMENDMENT) BILL, 2011

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Fiscal Responsibility and Budget Management (Second Amendment) Act, 2011.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 31st day of March, 2011.

2. Amendment of section 6, Rajasthan Act No. 7 of 2005.- For the existing clause (c) of section 6 of the Rajasthan Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 (Act No. 7 of 2005), the following shall be substituted, namely:-

"(c) restrict its total outstanding debt upto 39.3, 38.3, 37.3 and 36.5 per cent of Gross State Domestic Product for the financial year 2011-12, 2012-13, 2013-2014 and 2014-2015 respectively;".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Rajasthan Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 was enacted for the purpose of enabling the State Government to manage state finances in a fiscally responsible manner by undertaking fiscal consolidation with time bound targets.

Amendment was carried out in sub-section (a) and (b) of section 6 of the Rajasthan Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 on the basis of recommendations of the Thirteenth Finance Commission during the last budget session of Assembly.

Ministry of Finance, Government of India has advised that States have to incorporation Outstanding Debt to Gross State Domestic Product ratio targets for the financial year 2011-12 to 2014-15 also in their Fiscal Responsibility and Budget Management Act on the basis of recommendations of the Thirteenth Finance Commission.

Therefore, clause (c) of section 6 of the aforesaid Act is proposed to be amended to incorporate Outstanding Debt to Gross State Domestic Product ratio targets for the financial year 2011-12 to 2014-15.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT ACT, 2005
(Act No. 7 of 2005)

XX XX XX XX

6. Fiscal Management Targets .- In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the State Government shall –

(a) to (b) xx xx xx xx

(c) ensure that total outstanding debt, excluding public account, and risk weighted outstanding guarantees in a year shall not exceed twice of the estimated receipts in the Consolidated Fund of the State at close of the financial year;

(d) to (e) xx xx xx xx

XX XX XX XX

2011 का विधेयक सं. 25

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

सीताराम सोनवाल,

उप सचिव।

(श्री अशोक गहलोत, **प्रभारी मंत्री)**

Bill No. 25 of 2011

THE RAJASTHAN FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (SECOND AMENDMENT) BILL, 2011

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

Further to amend the Rajasthan Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

SITARAM SONWAL,
Deputy Secretary.

(ASHOK GEHLOT, **Minister-Incharge**)